

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 22.04.25

रीडर/2025/1651

प्रार्थीनी

बनाम

अप्रार्थीगण


1 कमलादेवी पत्नि
भीमाराम कुमावत
निवासी झाक तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।

1 पोकरराम पुत्र चिमनाराम जाति कुमावत 2 खेराजराम 3
दीपाराम 4 हरखाराम पिसरान गुमनाराम 5 करनाराम पुत्र
इसराराम 6 गोकलराम 7 पारसराम 8 सोनाराम पिसरान
नवलाराम 9 गोर्धनराम पुत्र मोतीराम 10 हरखुदेवी पत्नि
मोतीराम 11 प्रहलादराम 12 लुम्भाराम पिसरान खेमाराम 13
मोहनराम 14 रामाराम पिसरान चेतनराम 15 हथुदेवी पत्नि
रव. चेतनराम 16 राणाराम पुत्र अखाराम 17 किरताराम 18
देवाराम 19 माधूराम पिसरान पूर्णाराम 20 जुगताराम 21
पदमाराम 22 हरलाल पिसरान बनाराम 23 पूरोंदेवी पत्नि
बनाराम जाति जाट 24 आदाराम 25 भीमाराम 26 मगाराम
पिसरान पुत्र श्री परतापाराम जाति कुमावत निवासी
कालानाडा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर 27 तहसीलदार
बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 665/2024 दिनांक- 16/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कालानाडा पटवार क्षेत्र झाक तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 727/504 रकबा 4.8540 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2025/1652-1655

दिनांक-

22.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी झाक तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी कमलादेवी पत्नि भीमाराम कुमावत निवासी झाक तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण पोकरराम पुत्र चिमनाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी बाड़मेर।


उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर